that three generators to be imported have not been agreed upon by some officers of the Ministry, may I know whether....

Mr. Speaker: Order, order. It does not arise here. This is a general question.

Shri N. Sreekantan Nair. I want to know whether under the Agreement which has been signed, the first part of the Iddiki scheme is likely to be completed in the Fourth Plan.

Mr. Speaker: If individual cases are taken, then hundreds will come up. This is a general question about the Fourth Plan.

हुकम चंद कछवाय : अभी आप चुनावों के अन्दर हमारे बहुत से कांग्रेसी उम्मीदवारों के द्वारा कई देहातो में बिजली के खम्भे डाले गये थे बिजली लगाने के लिए। लेकिन जब चुनावों मे उनकी हार हो गई तो खम्भे उठा लिये गये .....

Mr Speaker: Order, order. This has nothing to do with this. This does not arise at all. This is about the power scheme for the Fourth Plan.

श्री हुकम चन्द कछवाय : देहात देहात में बिजली के खम्भे डाले गये थे वोट बटोरने के लिए लेकिन जब उनकी हार हो गई तो उन खम्भो को उठा लिया गया। मैं जानना चाहता हू कि उन देहातो मे बिजली पहुचाई जायेगी या नही पहुंचाई जायेगी ?

Shri S. M. Banerjee: During the Third Plan the electricity produced was given to the peasants at a much higher rate than that at which it was given for industrial uses. I would like to know whether effective steps will be taken to see that electricity is given at the cheapest rate to the peasants during the Fourth Plan.

Dr. K. L. Rao: Every effort will be made to achieve economy, to replace diesel sets by thermal or hydro power and to have the grid formation. These will be reducing the cost of electricity.

Mr. Speaker: Short Notice Yuestion. Mr. Kachhavaiya.

Shri Krishna Kumar Chatterjee (Howrah): Before you take up the next business. ....

Mr. Speaker: We are taking up a Short Notice Question. Mr. Kachhavaiya.

12 hrs.

SHORT NOTICE QUESTION

नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड

S.N.Q. 1. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के दस कर्मचारियों ने भूख हड़ताल आरम्भ कर दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त कर्मचारियों ने इससे पूर्व प्रदर्शन भी किया था;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों का विवरण क्या है ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानुप्रकाश सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां। नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के 10 कर्मचारियों के एक दल ने 16 मार्च, 1967 के प्रातःकाल से भूख हड़ताल आरम्भ कर दी है और

कर्मचारियों के विभिन्न दल भी इसके बाद से भूख हड़ताल कर रहेहैं ।

(ख) लंच के अवकाश में भूख हड़ताल करने से पहले प्रदर्शन किये जा चुके हैं ।

(ग) मांगें इस प्रकार हैं : —

(1) एक सहायक को दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित किये जाने से सम्बन्धित आदेशों का रद्द किया जाना ;

(2) भारत-जर्मन प्रोटो-टाइप उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र ओखला के अनुसचिवीय कर्मचारियों के काम के घंटों में कमी करना जिससे उनके काम के घंटे मुख्य कार्यालय के वही काम करने वाले लोगों के समान हो सकें ;

(3) दो मेहतरों और एक टेलीफोन आपरेटर को फिर से नौकरी में लेना जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं ; और

(4) एन० एस० आई० सी०–पी० टी० सी० कर्मचारियों की यूनियन को मान्यता देना ।

(घ) नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन के प्रबन्धकों द्वारा समझौते और नियमों के अधीन स्वीकार की जाने योग्य उनकी मांगें यथासम्भव स्वीकार करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे पुनः सामान्य स्थिति लाई जा सके और आन्दोलन समाप्त किया जा सके। सरकार इस स्थिति के बारे में पूरी तरह से सजग है और वह जैसी भी आवश्यकता हुई, कार्रवाई करेगी ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जिन कर्मचारियों द्वारा यह आन्दोलन किया जा रहा है, क्या उन्होंने सरकार को एक शिकायतपत्र भी दिया था ; यदि हां, तो सरकार ने उनकी शिकायतों पर किस ढंग से विचार किया और उन्हें किस प्रकार का आश्वसासन दिया ?

औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद) : जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया है, वर्कर्ज़ की तरफ से चार डिमांड्ज़ रखी गई थीं । उन में से एक डिमांड का ताल्लुक एक एसिस्टेंट की दिल्ली से कलकत्ता को ट्रांस्फ़र से था । इसकी बाबत उनसे बात की गई और उनको बताया गया कि यह ट्रांस्फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट में है और साथ ही उस एसिस्टेंट के इन्ट्रेस्ट में है । उनको यहां से कलकत्ता ट्रांस्फर किया गया था । जब उन्होंने अपनी इनकन्विनियंस की बावत जिक्र किया, तो हमने उनको इलाहाबाद ट्रांस्फर करने का इरादा किया, ताकि वह अपने घर से करीब रहें ।

उनकी दूसरी डिमांड यह थी कि काम का वक्त आध घंटा कम कर दिया जाये । इसकी बाबत भी बातचीत हुई थी और यह फ़ैसला हुआ कि चूंकि प्राडक्शन का काम एसिस्टेंट से ताल्लुक रखता है, इसलिए अगर एसिस्टेंट के काम का वक्त आध घंटा कम किया जायगा, तो प्राडक्शन के काम में नुक्सान होगा और दिक्कतें होंगी, जिसकी वजह से यह वक्त कम नहीं किया जा सकता है । कन्डीशंज़ आफ़ सर्विस में भी उन लोगों ने मान लिया है कि वे साढ़े चालीस घंटे काम करेंगे । यह सवाल भी नहीं उठता है ।

तीसरा मामला यह था कि वहां के मेहतरों को डिसमिस किया गया था । उनको सिर्फ एक वर्ष के लिये नौकरी दी गई थी । जब उन्होंने रिप्रेज़ेन्टेशन दी कि उनको दिक्कत होगी, तो उनको दूसरे काम में लगाने का इरादा किया गया । उनकी वह मांग भी मान ली गई थी ।

एक आपरेटर की डिसमिसल का सवाल भी आया था । उन्होंने टाइपिस्ट का इम्तहान पास नहीं किया था । उनको नोटिस दिया गया था । इसकी बावत हमारे लोगों ने कहा

कि इस बात पर भी गौर किया जा सकता है और इस पर फैसला हो सकता है ।

उन की चार डिमांड्स में से तीन पर गौर करने का हमने वादा कर लिया था, लेकिन जहां तक ट्रांस्फर का ताल्लुक है, वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में है और उस आफिसर के इन्ट्रेस्ट में भी है । इसलिये उस माग को नहीं माना जा सकता है । इसकी वजह से यह सब स्ट्राइक हो रही है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मन्त्री महोदय के पास जो जानकारी है, वह सरकार के आफिसर द्वारा उनको भेजी गई है । क्या मन्त्री महोदय ने यह प्रयत्न किया है कि उन वर्कर्स से बातचीत कर के इस मसले को सुलझाया जाये ? ट्रांस्फर की वजह से काफी कठिनाइया पैदा होती हैं, क्योंकि रहने के लिए मकान जल्दी नही मिलता है । उन लोगो के काम का वक्त आध घटा कम करने की माग की थी, क्योंकि उसमे उनको काफी अड़चनो का सामना करना पडता है । क्या सरकार उन लोगो से मिल कर और उनसे सीधी बातचीत करके इस मसले को हल करने की सोच रही है ?

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : अगर वे मुझ से मिलना चाहेंगे तो मुझे उन लोगो से मिलने मे बिल्कुल इन्कार नही होगा । अगर उनकी कोई तकलीफे होंगी, तो हम उन पर विचार करेंगे ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह रिपोर्ट सरकार के अफसर की तरफ से भेजी गई है । जो उन्होंने सूचना दी है, वह मन्त्री महोदय ने यहा पर दे दी है । मै यह जानना चाहता हू कि क्या मन्त्री महोदय न उन कर्मचारियो से मिलने की कोशिश की, ताकि वह बातचीत से इस मामले को तय कर सके ।

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैंने कहा है, उन लोगो न मुझे मिलने के लिए कोई दरख्वास्त नही दी और न मिलने की कोशिश की । अगर वे मुझे मिलना चाहते है मैं उनसे जरूर मिलूंगा और उनकी शिकायतों को सुनूंगा ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राजस्थान के श्री छगनलाल गोदावत के पास से सोना पकड़ा जाना

*649. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मन्त्री राजस्थान के श्री छगनलाल गोदावत के पास से सोना पकडे जाने की घटना के बारे मे 10 नवम्बर, 1966 को दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने छोटी सदरी के श्री छगनलाल गोदावत के पास से पकडे गये 153 किलोग्राम सोने के मामले में क्या कार्यवाही की है ,

(ख) क्या पुलिस द्वारा अपने पचनामे मे दर्ज किया गया सोना सरकार को मिल चुका है ,

(ग) क्या सरकार ने वह सोना वसूल कर लिया है, जिसकी रसीद चित्तौडगढ के जिला मजिस्ट्रेट ने दी थी , और

(घ) यदि नही , तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सूचना मिलने पर मध्य प्रदेश मे बगाना मे और राजस्थान मे छोटी सादडी मे श्री छगन लाल गोदावत के स्थानो की तलाशी एक बार 1965 मे जून के शुरू मे और दूसरी बार उसी साल जुलाई अन्त और अगस्त मे ली गयी थी । श्री छगन लाल गोदावत से सोने की बरामदगी उक्त दोनो स्थानो पर ली गयी तलाशियो के फलस्वरूप हुई थी, बरामद किये और पकडे गये सोने का वजन 244 061 किलोग्राम था (न कि 153 किलोग्राम) । यह सोना जब्त कर लिया गया है । 153 किलोग्राम सोने के विषय मे माननीय सदस्य की धारणा सम्भवत 10-11-1966 को सदन में दिये गये